अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 उत्तर प्रदेश सरकार के 23 विभागों की लेखापरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आती है। इस अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में **परिशिष्ट-1** में वर्णित 16 विभागों एवं उनके अन्तर्गत संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है और नीचे **तालिका 1.1** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	अन्य संस्थाएँ (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	योग
1	ऊर्जा विभाग	13	1	14
2	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	-	1	1
3	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	8		8
4	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	14	12[1]	26
5	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग	7	-	7
6	परिवहन विभाग	1	-	1
7	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग	5	-	5
8	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	-	1	1
9	पर्यटन विभाग	1	-	1
10	नागरिक उड्डयन विभाग	-	-	-
11	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	-	-	-
12	संस्कृति विभाग	1	-	1
13	धर्मार्थ कार्य विभाग	-	-	-
14	लोक निर्माण विभाग	2	-	2
15	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1	2	3
16	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	2	2
योग		**53**	**19**	**72**

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

1.2 वर्ष 2021-22 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,040 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 156 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की। इस प्रतिवेदन में 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं

[1] इसमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) की चार विभागीय प्रबंधित इकाइयाँ अर्थात् राजकीय मुद्रणालय सम्मिलित है।

कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा के परिणाम तथा चार विभागों[2] एवं पीएसयू/संस्थाओं से सम्बन्धित आठ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

1.3 लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करती है, जैसे

लेखापरीक्षा ज्ञापन: लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता हैं, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर): लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देना होता है।

ड्राफ्ट प्रस्तर: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाइयाँ कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।

समापन गोष्ठी: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रुप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभागों के प्रमुख और राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों के प्रमुख/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने को प्रयत्नशील रहती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालाँकि, अधिकतर प्रकरणों में लेखापरीक्षित संस्थाएँ समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

- **निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर की स्थिति**

16 विभागों से सम्बन्धित 1,993 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओज़) को मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2022 तक स्वीकार्य योग्य उत्तर की प्रत्याशा में 8,243 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 39,055 प्रस्तर निराकरण हेतु लम्बित थे। इनमें से, 533 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 2,847 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डीडीओज़ द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, जबकि 7,710

[2] ऊर्जा विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; पर्यटन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 36,208 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डीडीओज़ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2: 31 मार्च 2022 तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों (31 मार्च 2022 तक जारी किये गए) की स्थिति

क्रं. सं.	अवधि	लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लम्बित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2020-21	31 (0.38)	298 (0.76)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	728 (8.83)	5,613 (14.37)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	1,305 (15.83)	7,212 (18.47)
4	5 वर्षों से अधिक	6,179 (74.96)	25,932 (66.40)
योग		**8,243 (100)**	**39,055 (100)**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ कोई लेखापरीक्षा समिति बैठक नहीं आयोजित की गयी।

- **लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2021-22 में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति**

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2021-22 के लिए, 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं आठ लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा और लेखाओं पर विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के विनियम 138 में प्रावधान है कि सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव निर्दिष्ट समय के अन्दर प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विनियम, 2020 के विनियम 138 को संदर्भित करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया (सितम्बर 2020) कि वे विनियम, 2020 में परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रस्तुत करें। मात्र दो लेखापरीक्षा प्रस्तरों एवं 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। छः लेखापरीक्षा प्रस्तरों[3] के सम्बन्ध में प्रबन्धन के उत्तर प्राप्त हुए हैं। उत्तरों का समावेश कर लिया गया है। बार-बार अनुस्मारक के बाद भी छः लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर एवं तीन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में प्रबन्धन के उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं (मार्च 2024)।

[3] उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा पारेषण परियोजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित है।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्रवाई

1.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर लम्बित उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि यह कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से प्राप्त उत्तर प्रकट करता हो। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधान मण्डल में प्रतिवेदनों के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किये थे (जून 1987)। अप्राप्त उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.3** में दी गयी है।

तालिका 1.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 जून 2023 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		पीए/सीए के प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई[4]	
		पीए	सीए	पीए	सीए
अ. आर्थिक क्षेत्र/नॉन-पीएसयूज					
2012-13	01.07.2014	2	6	2	0
2013-14	17.08.2015	2	5	1	1
2014-15	08.03.2016	4	4	4	4
2015-16	18.05.2017	2	4	0	4
2016-17	19.07.2019	-	4	-	0
2017-18	21.08.2020	-	10	-	9
2018-19	19.08.2021	-	9	-	8
2019-20	17.12.2021	1[5]	0	1	0
	21.09.2022	-	3	-	2
2020-21	22.02.2023	-	10	-	10
योग		**11**	**55**	**8**	**38**
ब. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज)					
2011-12	16.09.2013	2	14	1	1
2012-13	20.06.2014	1	19	0	1

[4] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग; लोक निर्माण विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग; ऊर्जा विभाग; आवास एवं शहरी नियोजन विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग; सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; पर्यटन विभाग; शहरी विकास विभाग; वित्त विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग।

[5] उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		पीए/सीए के प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई[4]	
		पीए	सीए	पीए	सीए
2013-14	17.08.2015	2	15	1	4
2014-15	08.03.2016	6	12	2	3
2015-16	18.05.2017	6	11	3	0
2016-17	07.02.2019	3	7	2	4
2017-18	21.08.2020	1	12	0	3
2018-19	19.08.2020	-	06	0	1
	17.12.2021	1[6]	0	1	0
2019-20	21.09.2022	-	11	-	8
2020-21	22.02.2023	-	6	-	5
योग		**22**	**113**	**10**	**30**
महायोग (अ + ब)		**33**	**168**	**18**	**68**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

- **लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श**

वर्ष 2012-13 से 2020-21 के दौरान इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित, 11 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 55 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, पीएसी ने 17 प्रस्तरों (पीए/सीए) को विचार-विमर्श के लिए चयनित किया। 30 जून 2023 को पीएसी द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति **तालिका 1.4** में दी गयी है।

तालिका 1.4: पीएसी द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2020-21 के लिए आर्थिक क्षेत्र की पीए/सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	66 (11 पीए[7] + 55 सीए)
पीएसी द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिए गए	17 (7 पीए + 10 सीए)
पीएसी द्वारा की गयी अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत-कार्रवाई टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

[6] उत्तर प्रदेश में 'राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[7] उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए।

- **सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श**

वर्ष 1982-83 से 2020-21 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सम्बन्धित, 160 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 1,027 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, कोपू ने 155 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 1,031 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों[8] को विचार-विमर्श के लिए चयनित किया। 30 जून 2023 को कोपू द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति **तालिका 1.5** में दी गयी है।

तालिका 1.5: कोपू द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश, विधान मण्डल

स्थिति	वर्ष 1982-83 से 2020-21 के लिए पीएसयूज की पीए/सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	1,187 (160 पीए[9] + 1,027 सीए)
कोपू द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिए गए	1,186 (155 पीए + 1,031 सीए)[10]
कोपू द्वारा की गयी अनुशंसा	270 (29 पीए + 241 सीए)
प्राप्त कृत- कार्रवाई टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

1.5 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिये सौंपे गये राज्य सरकार के संस्थाओं के शासी अधिनियमों/शासनादेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इनके लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये जाने हैं तथा वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ राज्य विधान मण्डल में सरकार द्वारा रखे जाने हैं।

- ***संस्थाओं के बकाया लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं उनकी प्रस्तुति***

31 मार्च 2022 तक, उत्तर प्रदेश के 11 संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी थी। 30 जून 2023 तक, केवल एक संस्था[11] ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखाओं को अन्तिम रुप दिया था और शेष के 2021-22 तक 71 लेखे बकाये थे। वर्ष जिनके लिए वार्षिक लेखे बकाया हैं, का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

[8] इनमें 1982-83 से पूर्व की अवधि के पीए /सीए भी सम्मिलित हैं।

[9] (1) 'उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों का विक्रय' और (2) 'राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग प्रणाली' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित है।

[10] कोपू द्वारा वर्ष 1976-77 से 2020-21 तक चर्चा किये गए पीए/सीए सम्मिलित हैं।

[11] उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)।

तालिका 1.6: विभिन्न संस्थाओं के लेखाओं के बकाये का विवरण

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2021-22	04
2	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2021-22	01
3	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
4	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2021-22	17
5	सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2021-22	17
6	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2021-22	04
7	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2021-22	02
8	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
9	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2019-20 से 2021-22	03
10	प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2020-21 से 2021-22	02
योग			**71**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य विधान मण्डल में संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.6 छः संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे जिनका राज्य विधान मण्डल में 30 जून 2023 तक रखा जाना बाकी है, का विवरण **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु बकाया वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जहाँ तक वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधान मण्डल में प्रस्तुत न किये गए वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर की स्थिति	
			वार्षिक प्रतिवेदन/लेखों के साथ एसएआर का वर्ष	सरकार को एसएआर निर्गत करने की तिथि
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	शून्य	2003-04	19 अक्टूबर 2006
			2004-05	5 अक्टूबर 2007
			2005-06	5 अक्टूबर 2007
			2006-07	3 अक्टूबर 2008
			2007-08	17 अगस्त 2009
			2008-09	15 अगस्त 2010
			2009-10	26 मई 2011
			2010-11	08 जून 2012
			2011-12	24 सितम्बर 2014
			2012-13	20 फरवरी 2015
			2013-14	22 जून 2015
			2014-15	28 दिसम्बर 2015
			2015-16	18 मई 2017
			2016-17	08 मार्च 2019

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जहाँ तक वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधान मण्डल में प्रस्तुत न किये गए वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर की स्थिति	
			वार्षिक प्रतिवेदन/लेखों के साथ एसएआर का वर्ष	सरकार को एसएआर निर्गत करने की तिथि
			2017-18	15 मई 2020
			2018-19	18 दिसम्बर 2020
			2019-20	20 अप्रैल 2023
2	प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	शून्य	2010-11	2 मई 2019
			2011-12	1 अक्टूबर 2019
			2012-13	1 अक्टूबर 2019
			2013-14	6 अप्रैल 2022
			2014-15	18 मई 2023
			2015-16	20 जून 2023
3	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए)	शून्य	2007-08	03 जुलाई 20019
			2008-09	10 जून 2020
			2009-10	18 दिसम्बर 2020
			2010-11	10 अगस्त 2020
			2011-12	29 मार्च 2022
			2012-13	12 अप्रैल 2022
			2013-14	27 अप्रैल 2022
			2014-15	26 मई 2022
			2015-16	20 जून 2022
			2016-17	10 अगस्त 2022
4.	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	शून्य	2014-15	09 सितम्बर 2022
			2015-16	09 सितम्बर 2022
			2016-17	12 दिसम्बर 2022
			2017-18	27 जनवरी 2023
			2018-19	27 जनवरी 2023
5.	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06	2 मार्च 2023
			2006-07	2 मार्च 2023
			2007-08	21 अप्रैल 2023
			2008-09	28 जून 2023
6.	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06	24 जनवरी 2023
			2006-07	24 जनवरी 2023
			2007-08	21 अप्रैल 2023
			2008-09	10 मई 2023
			2009-10	01 जून 2023
			2010-11	16 जून 2023

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

1.7 लेखापरीक्षा के दौरान पाँच विभागों के 35 प्रकरणों में ₹ 11.57 करोड़ की वसूली इंगित की गयी जिनमें से तीन विभागों द्वारा ₹ 7.70 करोड़ की वसूली स्वीकार की गयी। दो प्रकरणों में ₹ 7.71 करोड़ की वसूली सम्पन्न की गयी। वसूली का विवरण **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार/ सम्पन्न की गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी वसूलियाँ		विभाग/संस्था द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		सम्पन्न की गयी वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
ऊर्जा विभाग	आरसीएम के अन्तर्गत ठेकेदार के बिलों से जीएसटी की कटौती नहीं होना	01	0.72	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वतंत्र फीडर पर कनेक्शन निर्गत करना	01	0.25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुबंधित भार के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण कम जमा धनराशि	01	0.49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रोटेक्टिव लोड प्रभार की वसूली	01	2.68	01	2.66	01	2.66
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	सेंटेज धनराशि की वसूली न होना	01	2.23	01	2.23	शून्य	शून्य
	वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य का कम शुल्क लेना	01	1.08	01	1.08	01	5.05
लोक निर्माण विभाग	निर्माण एवं दोषपूर्ण कार्यों के लिए बीमा की कटौती न करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया	01	1.73	01	1.73	शून्य	शून्य
परिवहन विभाग	स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम आरोपण	27	0.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी वसूलियाँ		विभाग/संस्था द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		सम्पन्न की गयी वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	यूपीईडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में फ्लाईएश के उपयोग में ईपीसी ठेकेदार को अनुचित लाभ	01	2.35	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग		**35**	**11.57**	**04**	**7.70**	**02**	**7.71**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

निष्कर्ष

1.8 लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत नहीं करना, अधिकांश राज्य संस्थाओं के वार्षिक लेखे तैयार करने में अधिक बकाया और राज्य विधान मण्डल में वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर प्रस्तुत नहीं करना सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का कारण है।